उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-45/2015/510(2)/41-2015-46यो0/15

लखनऊ: दिनांक- 18 मार्च,2015

शुद्धि-ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों में पूंजी निवेश हेतु राही पर्यटक आवास गृह रायबरेली के उच्चीकरण हेतु रू0 106.10 लाख तथा राही पर्यटक आवास गृह सारनाथ के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए रू0 76.30 लाख एवं राही पर्यटक आवास गृह अयोध्या के उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 95.60 लाख अर्थात कुल रू0 278.00 लाख (रू0 दो करोड अठहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-41/2015/510/41-2015-46यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक में त्रुटिवश ''आयोजनागत'' मद अंकित नही हो पाया है।

3. अत: शासनादेश संख्या-41/2015/510/41-2015-46यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण के स्थान पर लेखाशीर्षक-5452-आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण पढा जाय। सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

संख्या-45/2015/510(3)/41-2015 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

http://upsandesh.up.nic.in